

**कार्यालय**

**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश सखनऊ**

सखनऊ- दिनांक: 09/08/2021

संख्या: प्रावि/परिषद/सम्बद्धता/2021/2637

**कार्यालय जाप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु प्रेजोरा उत्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद-3090, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघानित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम स्वैयं क्षमता वृद्धि सहित अन्य नवीं पत्र विचार करने हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।


सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3090 सखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अक्षय प्रवेश बनता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम: 2772-AYADH COLLEGE OF PHARMACY, VILL- NINDURA, TEH- FATEHPUR, BARABANKI

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश बनता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश बनता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क सीमा वर्षीय इकाई पाठ्यक्रमों हेतु रु0-30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बद्धता में समय-समय पर शासक द्वारा निर्धारित किये जाने वाले शासनदेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। सीमा निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस को नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (3090 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटी के दिक्कत रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित शासनदेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाने गये विधिनियमों/अधिनियमों/शासनदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, 3090, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 3090 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3090 द्वारा बनाने गये नियमों/निर्देशों/आदेशों, निर्देशों का पालन करने में लिये बाध्य होगी।

  
 PRINCIPAL  
 AYADH COLLEGE OF PHARMACY  
 NINDURA, FATEHPUR BARABANKI

संस्था इन कार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि वी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को भेड़ें वाद टावर किया जाता है तथा टावर वाद के संबंध में यह न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी अपेक्षा निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- द्विपरीक्षा इन कार्मसी पाठ्यक्रम संघानित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश नखनक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीसीआईए से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण निर्गमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- संस्था को अपनी वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक मूर्ति भूति, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्ति किताबें आने वाले शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिग पोषक के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संघानित पाठ्यक्रम की पढाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध एवं गण अभिलेख, भूति भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त वा प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- संस्था के स्वकीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूति, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पीसीआईए/पीसीआईए/परिषद के मातनानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

रू0सं0- प्राधिपापरिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिनिधि -

अध्यापक/निदेशक, AWADH COLLEGE OF PHARMACY, VILL- NINDURA, TEH- FATEHPUR, BARABANKI



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

  
PRINCIPAL  
AWADH COLLEGE OF PHARMACY  
NINDURA, FATEHPUR, BARABANKI

**कार्यालय**

**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश सरकार**

संख्या:- धनिप/परिषद/सम्बद्धता/2022/10091

संबन्ध: दिनांक: 31/10/2022

**कार्यालय साध:**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदित प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपरोक्त संकेत से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 31/10/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्ण से सम्बन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपरोक्त संकेत द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं आगे अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2772-AVADH COLLEGE OF PHARMACY, VILL- NINDURA, TEH- FATEHPUR, BARABANKI

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली 2000, रेगुलेशन विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंडेंट पाठ्यक्रम हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की माँग/समाप्त करे लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उपरोक्त संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपरोक्त तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपरोक्त द्वारा किये गये निर्णयों का पालन करेगी।

  
PRINCIPAL  
AVADH COLLEGE OF PHARMACY  
NINDURA, FATEHPUR, BARABANKI

एक निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का एचआईओ/टीओ/डीओ/आईओ से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उल्लेखित संस्था का हीरा और विधिक बंधन किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश प्रोबेशन परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के सिस्टम यदि कोई बंधनकारक किया जाता है तथा राज्य सरकार के संबंध में या, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपत्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्थान प्रतिपत्ति संबंधित संस्था को बरतनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को अनुमोदन प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लोकनिक द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग सत्रों में प्रवेश के लिए एचआईओ/टीओ/डीओ/आईओ से अनुमोदन प्राप्त कर प्रवेश कार्यक्रम को उल्लेख्य प्रमाण द्वारा संस्थाओं को प्रवेश की काउन्सिलिंग के कार्यक्रम में प्रवेश परीक्षा के (आधार परस्वीकृत प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी हेतु गणना-सूचक एवं मिश्रित सर्वेक्षण आयोग नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने विस्तार या संस्था की समस्त सुधारों जैसे संस्था की एडिजिटल प्रुति प्रुति, स्टॉक, सफा-सज्जा, उपकरण, आदि किया जाने वाला शुल्क, आश्वासन शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिष्ठा हेतु उपयुक्त संसाधन उपलब्ध कराने के साथ रेगुलर रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था एक सुनिश्चित ही है कि संस्था में परामर्शित संयोजित प्राध्यापकों को प्रभावित करने हेतु निर्देशन संस्थिति के समस्त उपलब्ध कराने एवं संशोधन, भूमि-भवन, फर्निचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य प्राध्यापक के सम्बन्ध में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की समस्त संसाधन किये जाने की कार्यवाही को जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्वतंत्र निर्देशन के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साम-सज्जा एचआईओ/टीओ/डीओ/आईओ/परिषद के सम्बन्धानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की समस्त संसाधन बन दो जायेगी।
- ✓ समस्त संस्था को अनुपालन न किया जाने प्रभावित करी का उत्तरदायी किये जाने की स्थिति में निरमानुसार अनुपालन/संसाधन कार्यवाही की जायेगी।

  
(एचआईओ/टीओ)


अधिक

पृष्ठ- प्राथमिक शिक्षा संस्करण 2022/10092-10140

दिनांक: 31/10/2022

प्रतिलिपि:-

प्रशासक/निदेशक, AVADH COLLEGE OF PHARMACY, VILL- NINDURA, TEH- FATEHPUR, BARABANKI

  
(एचआईओ/टीओ)

अधिक

  
AVADH COLLEGE OF PHARMACY  
NINDURA, FATEHPUR BARABANKI

**संज्ञासूचक**

**राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश शासन**

संज्ञासूचक- प्राविधिक/परिषद/सम्बद्धता/2023/12090001

संज्ञासूचक दिनांक: 12-09-2023

**संज्ञासूचक सूचना**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा सितंबर 2023-24 हेतु पूर्व से संघटित टेक्नोलॉजी स्टरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ-प्र शासन से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठका में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ-प्र शासन द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसकी अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2772-AVADH COLLEGE OF PHARMACY, VILL- NINDURA, TEH- FATEHPUR, BARABANKI

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	संस्था/पठनस्थल/पठनस्थल/पीपीपीआईए/द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुशासन-उ उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-30889/2022 टीओपी-1 दिनांक 18 नवंबर 2023 द्वारा पूर्व से संघटित संसद संस्थाओं की जोड़ के विद्युत मासिक न्यायालय में अखिल शिक्षा आयोग 5027/2023 में सामाजिक न्याय के अंतिम निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मानक के अनुसार संस्थान में समस्त संसाधन (भूमि, भवन, जैव उपकरण) आदि उपलब्ध हैं।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एन्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवर्ग 1992, विनियमवर्ग-2000, सैनिटरी विनियमवर्ग-2016 तथा समय-समय पर निर्मित अधिनियमों का अनुपालन करेगी तथा शून्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शून्य की प्रत्येक छात्रवृत्त से प्राप्त किये जायेंगे। उपरोक्त अधिनियमों से शून्य के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले आदेशों का पालन करेगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। शून्य निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2023-24 हेतु शून्य का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की तुरंत तसददी लागू होगी।

*(Signature)*  
PRINCIPAL  
AVADH COLLEGE OF PHARMACY  
NINDURA, FATEHPUR, BARABANKI

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासन/देश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/विद्यार्थी/अधिनिर्देश/शासन/देश/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 3060, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, 3060 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद्, 3060 द्वारा बजाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का अधिन भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद्, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व अधिन भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था ने प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-अवकाश, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद् को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समितियों और उपसमितियों, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाता) विनियमावली, 2000 के प्राविधानानुसार परिषद् की स्तर पर अपने कर्मचारियों, भवनों और फर्नीचर को परिषद् को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद् के अधिकार में रखेगी।
- ✓ संस्था के अधिकार स्वतंत्र निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आर0सी0टी0ई0/पी0सी0आर0/परिषद् के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पृ0सं0- प्राविध/परिषद् सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिसिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, AVADH COLLEGE OF PHARMACY, VILL- NINDURA, TEH. FATEHPUR, BARABANKI

PRINCIPAL  
AVADH COLLEGE OF PHARMACY  
NINDURA, FATEHPUR, BARABANKI



(अजीत कुमार सिंह)

सचिव



PRINCIPAL  
JYOTI COLLEGE OF PHARMACY  
NINDURA, FATEHPUR, SARANSKY